



## उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम

परिवहन भवन टिहरी कोठी, लखनऊ-226001

दूरभाष : पी०बी०एक्स० 26225439, 2622363, 2628461

फैक्स : - 0522-2615526, 2628841, 2623578।

पत्र संख्या: 637 लो०सू०अधि०/17

दिनांक: १० जून, 2017

### कार्यालय आदेश

कार्यालय आदेश सं०-5299प्र०प्र०(ज०सू०)/2012 दिनांक 29.05.2012 को संशोधित करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के अन्तर्गत परिवहन निगम मुख्यालय से सम्बन्धित प्रकरणों में विभिन्न अनुभागों में कार्यरत अनुभाग अधिकारियों को उनके अनुभाग से सम्बन्धित सूचना हेतु जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है तथा जिन अनुभागों में अनुभाग अधिकारी का पद रिक्त है या अनुभाग अधिकारी का पद नहीं है, उन अनुभागों के प्रकरणों में सम्बन्धित सहायक प्रबन्धक/प्रधान प्रबन्धक को जनसूचना अधिकारी नामित किया जाता है। इसके अतिरिक्त आदेश दि० 29.05.2012 में क्रम सं०: 2 से 8 पर अंकित इकाइयों जिनका विवरण नीचे अंकित है, में पूर्ववत् जनसूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी रहेंगे तथा मुख्यालय से संबंधित सूचनाओं हेतु अपर प्रबन्ध निदेशक ही अपीलीय अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे:-

क्र०सं०	ईकाई	शाखा	जनसूचना अधिकारी	अपीलीय अधिकारी
1	के०कार्यशाला, कानपुर	-	प्रधान प्रबन्धक, के०कार्यशाला, कानपुर	मु०प्र०प्र०(प्राविधिक)
2	डा०रा०म०लो०का०, कानपुर	-	प्रधान प्रबन्धक, डा०रा०म०लो०का०, कानपुर	मु०प्र०प्र०(प्राविधिक)
3	प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	-	प्रधानाचार्य प्रशिक्षण संस्थान, कानपुर	अपर प्रबन्ध निदेशक
4	सम्बन्धित क्षेत्र	सम्बन्धित क्षेत्र०प्र०, कार्यालय	सम्बन्धित क्षेत्र०प्र०/प्रभारी क्षेत्र०प्र०	मु०प्र०प्र०(संचालन)
5	सम्बन्धित क्षेत्र	सम्बन्धित से०प्र०, कार्यालय	सम्बन्धित से०प्र०/प्रभारी से०प्र०	मु०प्र०प्र०(प्राविधिक)
6	कार सेक्शन	कार सेक्शन, लखनऊ	प्रबन्धक, कार सेक्शन, लखनऊ	मु०प्र०प्र०(प्राविधिक)
7	सम्बन्धित डिपो	सम्बन्धित से०क्षेत्र० कार्यालय	सम्बन्धित से०क्षेत्र०प्र०/प्रभारी से०क्षेत्र०प्र०	सम्बन्धित क्षेत्र०प्र०/प्रभारी क्षेत्र०प्र०

संबन्धित जनसूचना अधिकारियों का यह दायित्व होगा कि वे सीधे आवेदक से सूचना उपलब्ध कराने हेतु वांछित शुल्क की मांग कर पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदक को सूचना उपलब्ध करायेगें ताकि सूचना उपलब्ध कराने में विलम्ब न हो तथा राज्य सूचना आयोग के समक्ष आवेदक यह तर्क न प्रस्तुत करे कि उसको सूचना प्राप्त नहीं हुई है अथवा विलम्ब से प्राप्त हुई है।

प्रधान प्रबन्धक (जनसूचना), उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ पूर्ववत राज्य लोक सूचना अधिकारी के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

(के०रविन्द्र नायक)  
प्रबन्ध निदेशक

समसंख्यक/समदिनांकित

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
3. विधि परामर्शदाता, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
4. मुख्य प्रधान प्रबन्धक(प्रशासन/संचालन/प्राविधिक), उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
5. समस्त प्रधान प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
6. प्रधान प्रबन्धक (एम०आई०एस०), उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ को उपरोक्तानुसार निगम की वेबसाइट अपडेट करने के निर्देश सहित।
7. प्रधान प्रबन्धक (के०का०/डा०रा०म०लो०का०), उ०प्र० परिवहन निगम, कानुपुर।
8. अहरण वितरण अधिकारी, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
9. प्रधानाचार्य, प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० परिवहन निगम कानपुर।
10. अधिशाषी अभियन्ता(भवन), पूर्व व पश्चिम, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
11. प्रबन्धक(कार-सेक्शन), उ०प्र० परिवहन निगम, लखनऊ।
12. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/सेवा प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम।
13. समस्त सहायक क्षेत्रीय प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम।
14. समस्त सहायक प्रबन्धक, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
15. समस्त अनुभाग अधिकारी, उ०प्र० परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।

(आलोक सक्सेना)  
राज्य लोक सूचना अधिकारी